उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-69/224/पांच-8-2015-जी0(114)/2011

लखनऊ : दिनांक 28 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.6.2010 द्वारा डा0 सम्यक तिवारी को एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन तैनात किया गया, किन्तु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। डा0 तिवारी द्वारा प्रत्यावेदन देने पर सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3183/चि0-3-2011-जी-114/2011, दिनांक 26-07-2011 द्वारा डा0 सम्यक तिवारी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी थी, जिसके अनुपालन में उन्हें दिनांक 17-08-2011 को नया प्राथ0स्वा0 केन्द्र, सेठमऊ, बाराबंकी में तैनात किया गया। डा0 तिवारी दिनांक 31-08-2013 से 19-12-2014 तक अनुपस्थित हो गये। डा0 तिवारी द्वारा पुनः कार्यभार ग्रहण कराये जाने के किये गये अनुरोध पर मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के पत्र दिनांक 07-01-2015 द्वारा डा0 तिवारी को योगदान कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 सम्यक तिवारी, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के अधीन इस शर्त के साथ योगदान कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

3- डा0 सम्यक तिवारी, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 25-05-2015 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

पी0एन0 सिंह

विशेष सचिव।

<u>संख्या-69/224(1)/पांच-8-2015-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 25-05-2015 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर/फैजाबाद मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी/कन्नौज।

6- कोषाधिकारी, बाराबंकी/कन्नौज।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी/कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in